

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा
37 / 2020

किस्म मुकदमा
धारा 212 RTA

दायरा तिथि
09.09.2020

निर्णय तिथि
13.09.2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु

—प्रार्थी—

बनाम

1. सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी 1 ई 19 शिवशक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर
2. उप पंजीयक, चूरु

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम रामसरा के खेत ख.नं. 791/100 तादादी 2.7822 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थी सं० 1 के नाम से खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी खातेदार को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है। जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। इस भूमि पर अप्रार्थी सं० 1 खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि पर फ्लैट तैयार कर अकृषि प्रयोजन कार्य किया गया है। अकृषि प्रयोजन कर भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण राज्य पक्ष में बनता है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं० 1 ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा न करने हेतु पाबन्द करने के बावजूद कार्य करने से नहीं रुका है व भूमि की पूर्णतः प्रकृति बदलने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उपरोक्त वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं अप्रार्थी उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को बेदखल करने व उक्त भूमि को सिवाय चक राजस्थान अधिनियम के सफल होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

उपखण्ड अधिकारी

चूरु



अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नम्बर 791/100 तादादी 2.7822 हैक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि पर ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को कृषि कार्य करने, फसल काटने एवं किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं करने तथा किसी प्रकार के आवासीय प्लॉट्स का विक्रय पत्र सम्पादित नहीं करने एवं पंजीबद्ध नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।



प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण की आवश्यक प्रकृति के मध्यनजर पैरोकार राज प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होने से दिनांक 09.09.2020 को अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया गया कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.19 तक उक्त कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण, आवासीय प्लॉटों के विक्रय पत्र एवं अन्य किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि संचालित नहीं करें तथा अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 सत्यनारायण ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाने व वकालतनामा व जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी को नकल दी जाकर जवाब हेतु समय दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राकेश सहारण एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र मय सूची के संलग्न दस्तावेजात् पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार से तथ्य लिखे गये हैं, अस्वीकार किये जाते हैं। वादगत भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अधीन कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजन के लिये रूपान्तरण हो चुका है। वादगत भूमि का स्वरूप मौजूदा समय में कृषि भूमि का नहीं है, बल्कि आवासीय भूमि का है। वादगत भूमि का नियमानुसार कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण हो चुका है, जिसकी सूचना भी तहसीलदार, चुरू को विधिवत रूप से भिजवायी जा चुकी है। वादगत कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण दिनांक 01.01.2013 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से किया जाकर उसकी सूचना तहसीलदार चुरू को प्रेषित की जा चुकी है मगर तहसीलदार, चुरू द्वारा रूपान्तरण आदेश में वर्णित वादगत भूमि का नामान्तरकरण स्थानीय प्राधिकारी के नाम आज तक दर्ज नहीं किया गया है। वादगत भूमि पर फ्लैट निर्माण का कार्य नगर परिषद् चुरू की अनुमति से ही किया गया है। गैर कृषिक प्रयोजन हेतु वादगत भूमि का रूपान्तरण हो जाने के बाद वादगत भूमि का कृषि भूमि के रूप में कोई उपयोग, उपभोग शेष नहीं रह गया है। अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा कोई हानिप्रद कार्य नहीं किया गया है बल्कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वादगत भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने के बाद नगर परिषद् चुरू की अनुमति से फ्लैटों का निर्माण कार्य किया गया है। चूंकि वादगत कृषि भूमि का दिनांक 01.01.2013 के बाद कृषि भूमि के रूप में कोई स्वरूप ही नहीं रह गया है, बल्कि दिनांक 01.01.2013 के बाद वादगत भूमि गैर कृषिक प्रयोजन हेतु फ्लैट निर्माण हेतु काम में ली गयी है जो निर्माण कार्य नगर परिषद् चुरू की स्वीकृति व सहमति से नियमानुसार किया गया है, प्रार्थी तहसीलदार, चुरू ने एक तरफ तो वादगत भूमि के गैर कृषिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण के कम में अपने पत्र दिनांक 17.11.2012 के द्वारा अपनी सहमति प्रकट की है, तथा दूसरी ओर समस्त कार्यवाही का ज्ञान व जानकारी होते हुये भी यह गलत प्रार्थना पत्र व वादपत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश किया है, जिससे

उपखण्ड अधिकारी

चुरू

अप्रार्थी उत्तरदाता को अपूर्ति क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने पर पत्रावली बहस में नियत की गई। पैरोकार राज प्रार्थी लिखित बहस पेश की जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली की जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पैरोकार राज ने अपनी लिखित बहस के अंकित किया कि वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में यह भूमि आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। तत्समय यह कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने एवं पटवारी हल्का खासोली व भू-अ.निरीक्षक रतननगर की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। अप्रार्थी की उपस्थिति के पश्चात् जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादगत भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण किये जाने का निवेदन न्यायालय श्रीमान् के यहां किया गया था। चूंकि अप्रार्थी जो जमीनों की खरीद फरोख्त कर फ्लैट आदि बनाकर विक्रय करने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में उन्हें भलीभांति यह जानकारी रही है कि उनकी उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में बारानी कृषि भूमि दर्ज रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य के अध्यक्षीन रहते पटवारी हल्का खासोली व भू-अभिलेख निरीक्षक रतननगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.07.2020 के आधार पर संस्थित की गयी थी। अप्रार्थी द्वारा जवाब में यह लिखना कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादगत भूमि का नामान्तरण दर्ज करने हेतु सूचित किया गया था पूर्णतय मिथ्या दर्ज किया गया है। प्रार्थी के कार्यालय को सक्षम प्राधिकारी अथवा स्वयं अप्रार्थी ने कभी भी उक्त कृषि भूमि का अकृषि रूपान्तरण कर दिया गया है, इस हेतु सूचित नहीं किया गया था और ना ही हल्का पटवारी द्वारा मौके पर की गयी रिपोर्ट में कि वे कृषि भूमि में निर्माण आदि नहीं करें, पर प्राथमिक आपत्ति दर्ज करवायी गयी। इसलिए राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि के अनुसार वादगत भूमि आज भी कृषि भूमि में बारानी किस्म दर्ज है और ऐसी कृषि भूमियों के विरुद्ध अहितकर कृषि कार्य करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान विहित हैं तदर्थ कार्यवाही संस्थित की गयी। यह कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति सहज रूप से कार्य करवाये जाने होते हैं मगर वादगत कृषि भूमि हेतु अप्रार्थी जो एक जमीनों के धन्धे में लिप्त व्यक्ति रहा है और स्वयं को निदेशक एस.एन.जी. रियल स्टेट प्रा.लि. का भी बताता है। ऐसे में उनको यह भली भांति व सदैव से जानकारी रही है कि वादगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में बारानी दर्ज है जिससे कार्यवाही संस्थित की गयी। पैरोकार राज ने मौखिक कथन किया कि वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात् से वादगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होना जाहिर होता है। इसलिए यदि प्रार्थना पत्र की कार्यवाही निरस्त की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि का दिनांक 01.01.2013 को सक्षम प्राधिकारी, नगर परिषद्, चूरु द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया जा चुका है तथा आवासीय फ्लैट निर्माण की स्वीकृति भी नगर परिषद्, चूरु से विधिवत ली जाकर नियमानुसार फ्लैट निर्माण किया गया है। वर्तमान में वादगत भूमि की प्रकृति एवं स्वरूप कृषि भूमि का नहीं होकर आवासीय भूमि का ही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का ज्ञान व जानकारी तहसीलदार, चूरु को रही है जो कि तहसीलदार, चूरु के पत्र दिनांक 07.11.2012 से प्रमाणित होता है। मैंने भूमि रूपान्तरण के दस्तावेज भी पत्रावली पर पेश कर दिये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
चूरु

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर सम्पूर्ण पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2071-2074 ग्राम रामसरा के ख.नं. 979791/100 तादादी 2.7822 हैक्टेयर में एस.एन.जी. रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रजिस्टर्ड ऑफिस एट 707 पेरीस पॉइन्ट कलैक्ट्रेट सर्किल बनीपार्क जयपुर (राज.) द्वारा निदेशक सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति गुप्ता निवासी 1-ई-19 शिवशक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर खातेदार तथा भूमि की किस्म बारानी अंकित है। अति. पटवारी हल्का खासोली की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2020 के अनुसार ख.नं. 791/100 रकबा 2.7822 हैक्टेयर के खातेदार एस.एन.जी. रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रजिस्टर्ड ऑफिस एट 707 पेरीस पॉइन्ट कलैक्ट्रेट सर्किल बनीपार्क जयपुर (राज.) द्वारा निदेशक सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति गुप्ता निवासी 1-ई-19 शिवशक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर खातेदार ने कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिया गया है। अतः उक्त खातेदार ने कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य में लिये जाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में पेश है। उक्त रिपोर्ट पर ही भू-अभिलेख निरीक्षक, झारिया व रतननगर की रिपोर्ट मय हस्ताक्षर के अंकित है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का खासोली सही है। पटवारी हल्का व भू-अ.नि. की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकरण संस्थित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादगत कृषि भूमि का दिनांक 01.01.2013 को सक्षम प्राधिकारी, नगर परिषद्, चूरु द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया जा चुका है तथा आवासीय फ्लैट निर्माण की स्वीकृति भी नगर परिषद्, चूरु से विधिवत ली जाकर नियमानुसार फ्लैट निर्माण किया गया है। वर्तमान में वादगत भूमि की प्रकृति एवं स्वरूप कृषि भूमि का नहीं होकर आवासीय भूमि का ही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का ज्ञान व जानकारी तहसीलदार, चूरु को रही है जो कि तहसीलदार, चूरु के पत्र दिनांक 07.11.2012 से प्रमाणित होता है। अप्रार्थी ने जवाब के साथ सूची के संलग्न प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, चूरु का मामला संख्या 01 वर्ष 2012-13 के आदेश दिनांक 01.01.13 व तहसीलदार, चूरु के पत्रांक राजस्व/2012/289 दिनांक 17.11.12 की छाया प्रतियां पेश की हैं। प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, चूरु के आदेश दिनांक 01.01.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान के प्रकरण में ग्राम रामसरा के ख.नं. 791/100 तादादी 11.00 बीघा भूमि पर आवेदक सत्यनारायण गुप्ता निदेशक एस.एन.जी. रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रजिस्टर्ड ऑफिस एट 707 पेरीस पॉइन्ट कलैक्ट्रेट सर्किल बनीपार्क जयपुर के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का "सहभागिता आवास योजना पी.पी.पी." के अन्तर्गत "अफोर्डेबल हॉउसिंग पॉलिसी" प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जाकर अनुज्ञा दिया जाना अंकित है। उक्त आदेश क्रमांक 9342-43 दिनांक 01.01.13 की कं. सं. 01 पर प्रति तहसीलदार, चूरु को यह भूमि स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने एवं आदेश की प्रति 07 दिवस के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को भेजने के लिए, अंकित है। तहसीलदार, चूरु के पत्रांक 289 दिनांक 17.11.12 के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा किये जाने सम्बन्धी एस.एन.जी. रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर की सहमति रिपोर्ट के विषयान्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद् चूरु के पत्रांक 6375 दिनांक 03.10.2012 के सन्दर्भ में चाही गयी वांछित रिपोर्ट पटवारी हल्का खासोली से ली जाकर मूल पत्रावली पूर्व सैट सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना अंकित है।



उपखण्ड अधिकारी

चूरु

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 791/100 तादादी 2.7822 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि है जिसका अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा अप्रार्थी खातेदार द्वारा दिनांक 01.01.2013 को सक्षम प्राधिकारी से विधिवत ली जा चुकी है तथा अप्रार्थी के कथनानुसार उक्त भूमि पर आवासीय फ्लैट निर्माण की नियमानुसार स्वीकृति भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ली जाकर निर्माण किया गया है परन्तु आदेश दिनांक 01.01.2013 का अमल दरामद आज तक राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है क्योंकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादगत भूमि आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही है। आदेश 01.01.13 के सम्बन्ध में पैरोकार राज का कहना है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादगत भूमि का नामान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार चूरु को सूचित किया जाने का तथ्य पूर्णतया मिथ्या है। प्रार्थी के कार्यालय को सक्षम प्राधिकारी अथवा स्वयं अप्रार्थी ने कभी भी सूचित नहीं किया कि उनकी उक्त कृषि भूमि का अकृषि रूपान्तरण कर दिया गया है। इसलिए राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि एवं अकृषि कार्य करने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधान के तहत कार्यवाही संस्थित किया जाना बताया है जबकि अप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद्, चूरु के आदेश दिनांक 01.01.13 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार, चूरु को 7 दिवस में नामान्तरण दर्ज करने एवं प्रति स्थानीय प्राधिकारी को देने हेतु भिजवाया गया है तथा तहसीलदार, चूरु के पत्रांक 289 दिनांक 17.11.12 के अवलोकन से भी तहसीलदार, चूरु को इस कृषि भूमि के गैर कृषिक रूपान्तरण होने की जानकारी पहले से होना स्पष्ट होता है। इसलिए पैरोकार राज का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि हमें इसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी या अप्रार्थी स्वयं द्वारा कभी भी नहीं दी गई। चूंकि इस प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि वादगत भूमि का अकृषिक कार्य प्रयोजन हेतु रूपान्तरण हो चुका है इसलिए इस भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। पैरोकार राज ने लिखित बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी एक जमीनों के धन्धे में लिप्त व्यक्ति रहा है एवं स्वयं को निदेशक एस.एन.जी. रियल स्टेट प्रा. लि. का भी बताता है। ऐसे में उसको जानकारी थी कि भूमि की किस बरानी है जिससे यह कार्यवाही संस्थित की गयी। हमारा यह मानना है कि धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) एक कठोरतम कार्यवाही है जिसमें न्यायालय खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करने की शक्ति रखता है। प्रार्थी ने दावे में अप्रार्थी को वादगत भूमि से बेदखल करने एवं भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित करने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार की कठोर कार्यवाही प्रस्तावित करने से पहले प्रार्थी का यह पदीय दायित्व था कि वे पहले अपने स्तर पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के तहत अप्रार्थी को विधिवत रूप से उक्त कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण करवाने हेतु नोटिस देते एवं बाद सुनवाई अप्रार्थी द्वारा आदेश की पालना नहीं करने पर सन्तुष्टि के उपरान्त ही इस प्रकार की कार्यवाही संस्थित करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया जाना अपने पदीय दायित्वों एवं विभागीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है एवं प्रथम दृष्टया अप्रार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान करना भी परिलक्षित करता है। न्यायालय तत्कालीन पटवारी हल्का एवं तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक को गलत तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार, चूरु को बिना कार्यालय अभिलेख की जांच किये इस प्रकार की कठोर कार्यवाही संस्थित करने पर विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं पद का दुरुपयोग करने का दोषी मानता है। अतः तत्कालीन पटवारी हल्का, खासोली, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, रतननगर एवं तहसीलदार चूरु के खिलाफ पृथक् से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है



उपखण्ड अधिकारी

चूरु

एवं न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित मानता है।



आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 09.09.2020 को निरस्त किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु

चूरु